

शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र

दिनांक - 18-09-2020, वर्ग - BA-II

FERA और FEMA में अन्तर

सन् 1973 में विदेशी विभाग
नियमन अधिनियम (FERA) (Foreign Exchange
Regulation Act) पारित किया गया, जिसका
मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का संचुपण
सुनिश्चित करना था, लेकिन इह कानून
देश के बिकास में वापर के बन गया था
इस कानून के द्वारा 1999 में FEMA (Foreign
exchange management Act) प्रत्यावर्त्तित किया
गया था। तभी बांधनों के ऊपरी दबाव
कानून 1999 में FEMA द्वारा संशोधित किया गया।

विदेशी बांधन के द्वारा आज
में विदेशी मुद्रा जहुत ही समित माना दे-
हाती थी। इस कानून सख्ताएँ देखा गया
क्लेंच आवाहन पर नजर रखती थी।
सन् 1973 में विदेशी विभाग के नियमन
अधिनियम पारित किया गया, जिसका

कुरुण उद्देश्य विदेशी मुद्रा का अधिकार
सुनिश्चित करना था लेकिन अब कानून
द्वारा इसे विकास में वापस कर दिया
था। यह कानून इन 1997-98 के बजट
में सरकार ने फरवरी 1973 के द्वारा पर
दिया (विदेशी मुद्रा प्रबंधन आयोगियम्)
को लाने को प्रस्ताव रखा था। दिल्ली
1999 में संसद के हाई एड्जेंसी द्वारा देश
पात्र किया गया था। वायरपात्र के अनु-
मानिक छोटे। जून 2000 को इसका देश
प्रभार में आ गया था।

* एक बड़ा क्षमा है ?

फ्रेश कानून का मुरला

कार्ड विदेशी अचानक पर नियंत्रण लगाया,
पूँजी बाटूर में कालेयन और नजर रखना,
विदेशी मुद्रा का आपात और नियंत्रित पर
नजर रखना और विदेशीओं द्वारा अपने
सम्पत्तियों के खरीद को नियंत्रित करना था।

इस कानून को देखा में तब लागू किया
गया था जब देश की विदेशी पुस्ति अभ्यास
बहुत ही खराब हालत में था। १८५८ तक इन्हीं
विदेशी शैली के संरक्षण तथा अधीनपत्रिय
के विकास में उल्लंघन छही उपचार किया
था।

⇒ फैमा क्या है?

फैमा (FEMA) का महत्वपूर्ण
लक्ष्य विदेशी शैली से संबंधित देश
कानूनों का संसोधन और एकीकरण
किया है। १८५८ भारत, वा FEMA
का लक्ष्य देश में विदेशी शृगान
और आपार को बढ़ावा देना, विदेशी
शैली और मिवेकों को देश में बढ़ावा
देना ताकि आन्द्रधोगिक विकास और
नियन्त्रण को बढ़ावा दिया जा सके। इस
भारत में विदेशी शृगान बजार के रखरखाव
और ब्यार को नियन्त्रित किया है।

FEMA भारत में रहने वाले एक व्यक्ति को पूरी वित्तगत प्रठान करा है कि बड़े अद्य के बाहर सम्पत्ति को छीढ़ लेकर है, मालिक बन लेकर है और उसका गालिकाना है कि वह किसी और को दे लेकर है।

FERA और FEMA में निम्नलिखित अन्तर हैं—

- 1) FERA को संसद ने 1973 में मंजूरी दी थी जबकि इसको को संसद ने 1999 में मंजूरी दी।
- 2) FERA वर्तमान में लागू नहीं परन्तु FEMA वर्तमान में लागू है।
- 3) FERA में अनुभागों की संख्या 81 है। जबकि FEMA में अनुभागों (sections) की संख्या 49 है।
- 4) FERA आपले में विदेशी भुगतानों पर निपटना लगाने और विदेशी मुद्रा का सुरक्षण करने के लिए बनाया गया था परन्तु FEMA का उद्देश्य विदेशी व्यापार और विदेशी

भूगतान को बढ़ावा देना होमार्ग देश
में विदेशी भूज्या भारत को फेला है।

5) FERA के अन्तर्गत भारत का नागरिक
उधी ज्यविक को माना जाता था जो भारत
का नागरिक हो। जबकि FEMA द्वारा
भारत को नागरिक उपर्युक्त को पान
लिया जाता है जो 6 महीने से भारत में
रह-रहा है।

6) (^(FERA) इसमें अपराध को क्रिमिनल अपराध
की शैली में रखा जाता था जबकि FEMA
में अपराध को दीवानी अपराध की
शैली में रखा जाता है।

7) FERA के अन्तर्गत हाई चार्ज जानपाल
ट्रिक्ट द्वारा जा प्राप्त्यान द्वारा प्रदत्त PEMA
के अन्तर्गत हाई चार्ज जानपाल से सिरा
जानी होती है जबकि ज्यविक नागरिक
की तिक्ष्णी द्वारा १० दिन के बीते नियमित
अर्थात् जमान करे।

8) ~~FERA~~ FERA के तहत मुकद्दमा ले दी हो दी आरोपी बोधी माना जाता था औ उसे ही यह साविक कला दी थी अब बदल दी गई है। जबकि FEMA के तहत किसी गुनाह के एवं उसके लक्षणों का बोझ आरोपी पर नहीं लगता बल्कि विकल्पों का लाभ करने वाले अधिकारी पर होता है।